IGNITED MINDS Journals

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. V, Issue IX, January-2013, ISSN 2230-7540

REVIEW ARTICLE

भारतीय संविधान निर्माण एवं डॉ. अम्बेडकर

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. V, Issue IX, January-2013, ISSN 2230-7540

भारतीय संविधान निर्माण एवं डॉ. अम्बेडकर

Arun Prakash

Research Scholar, CMJ University, Shillong, Meghalaya, India

---------------------------------X-------------------------------

अपनी उच्च शिक्षा के दौरान अम्बेडकर को पाश्चात्य समाजों के सामाजिक और राजनीतिक तंत्र को नजदीक से देखने तथा उनके संविधान एवं कानून को ठीक से जानने का अवसर मिल। इससे उनके राजनीतिक चिन्तन को एक नई दिशा प्राप्त हुई। इसी प्रकार एक अछूत जाति में पैदा होने के कारण उन्होंने अपने आरंभिक जीवन में जो कष्ट भोगे उससे उन्हें जीवन का उद्देश्य प्राप्त हुआ। उनके जीवन का उद्देश्य था सामाजिक न्याय एवं मानव अधिकार के लिए संघर्ष करना।[1] यही आगे चलकर उनके राजनीतिक एवं संवैधानिक चिन्तन का आधार भी बना। इसलिए यदि यह कहा जाए कि अम्बेडकर का राजनीतिक चिन्तन इनके सामाजिक जीवन के अनुभवों से निकला है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अम्बेडकर का राजनीतिक चिन्तन एक ऐसी राजनीतिक तंत्र की रचना पर आधारित है जो सामाजिक न्याय की स्थापना तथा मानव अधिकार की रक्षा करे, वयक्ति की स्वतन्त्रता एवं सम्मान की रक्षा करें, निर्बल वर्गों की सबल वर्गों के द्वारा शोषण एवं अन्याय से रक्षा करें साथ ही वह निर्बल वर्गों के लिए विशेष संवैधानिक सुरक्षा तथा सुविधा का प्रावधान भी करे, जिसे उनकी स्थिति में सुधार हो सके और वे राष्ट्रीय विकास में भागीदार बन सके।[2]

राज्य एवं समाज

अम्बेडकर के अनुसार राज्य और समाज में कुछ बातें समान हैं। सामान्यतया, जो लोग समाज की रचना करते हैं, वे राज्य के भी सदस्य होते हैं। राज्य और समाज दोनों के ही पास शक्ति होती है, जो दूसरे सदस्यों पर बाध्यतामूलक दबाव रखती हैं इन समानताओं के बावजूद दोनों में अन्तर हैं। राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग कानून के अनुमोदन के आधार पर करता है जबकि समाज अपनी शक्ति जो समाज का सदस्य है जरूरी नहीं है कि वह राजय का सदस्य हो।[3] जो किसी राजय का सदस्य या नागरिक है, उसे इस नाते राज्य से कुछ लाभ मिलता है, उसे राज्य से कुछ अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती है और उसे राजय के प्रति कुछ कर्त्तव्यों का निर्वाह करना होता है।[4]

अम्बेडकर ने राज्य की कल्पना मनुष्यों के एक राजनीतिक संगठन के रूप में की जिसके पास अपनी विधायिक एवं कार्यपालिका होती है और अपना प्रशासनतंत्र होता है।[5] उनका कहना था कि मनुष्यों का संगठन होने के नाते राज्य को व्यक्ति एवं समाज के हितों का सेवन करना होता है। अम्बेडकर ने राज्य के निम्न मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए–

(i) प्रत्येक नागरिक के जीवन, स्वतन्त्रता तथा प्रसन्नता की प्राप्ति और भाषण व धर्म पालन की स्वाधीनता के अधिकार को बनाये रखना।

(ii) निम्न व कमजोर वर्गों को बेहतर सुविधाओं व अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक असमानता को दूर करना।

(iii) प्रत्येक नागरिक को अभाव और भय से मुक्ति दिलाना।

(iv) आन्तरिक अव्यवस्था तथा अशान्ति को दूर करना एवं बाह्य आक्रमण से रक्षा करना।[6]

अम्बेडकर ने राज्य की तुलना में समाज को अधिक महत्व प्रदान किया। उनका मानना था कि कोइ भी राज्य कभी भी समाज नहीं बन सकता क्योंकि समाज मनुष्य के समस्त विचारों एवं क्रियाओं को समाहित करता है।[7]

राज्य एवं व्यक्ति

अम्बेडकर राज्य और व्यक्ति के बीच सामंजस्य के पक्षधर थे। वे राज्य के सर्वेसर्वा होने के विरुद्ध थे, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि, सर्वाधिकार सम्पन्न होने से राज्य व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करेगा, जिससे व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन होगा और स्वतन्त्रता के अभाव में व्यक्ति का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध होगा, अन्ततोगत्वा सामाजिक प्रगति में बाधा पहुँचेगी। अम्बेडकर के अनुसार राज्य साध्य नहीं है और न ही यह सम्पूर्ण सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि राज्य को साध्य मान लिया जाता है तो इससे उसे सम्पूर्ण मानव जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है जो गलत तो है ही व्यावाहरिक रूप से संभव भी नहीं है।[8] वास्तव मे राज्य मानव लक्ष्यों की प्राप्ति और बेहतर समाज की स्थापना का एक साधन है। राज्य को व्यक्ति एवं समाज के हितों का सेवन एक मालिक के रूप में नहीं बल्कि एक नौकर की भांति करना चाहिए।[9] अम्बेडकर का मानना था कि राज्य के व्यक्ति का निर्माण नहीं किया है और न ही व्यक्ति का दास है। इसलिए

[1] वी.पी.एस., रघुवंशी नेशनलिस्ट मूवमेण्ट एण्ड थॉट, (लक्ष्मीनारायण, आगरा) सन् 195, पृष्ठ 124

[2] उपरोक्त, पृष्ठ 127

[3] अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज (खंड 2) (गवर्नमेन्ट ऑफ महाराष्ट्र प्रकाशन, बाम्बे) सन् 1982, पृष्ठ 342

[4] उपरोक्त, पृष्ठ 346

[5] उपरोक्त, पृष्ठ 349

[6] उपरोक्त, पृष्ठ 355

[7] भारती, के.एस. फाउन्डेशन ऑफ अम्बेडकर थॉट, (दत्त संस प्रकाशन, नई दिल्ली) सन् 1990, पृष्ठ 146

[8] उपरोक्त, पृष्ठ 149

[9] उपरोक्त, पृष्ठ 152

राजय को सर्वाधिकार प्रदान करना न्यायोचित नहीं है। व्यक्ति राज्य का निर्माता है।[10] व्यक्ति ने राज्य का निर्माण कतिपय उद्देश्यों जैसे–बाह्य आक्रमण से रक्षा तथा आंतरिक शान्ति और व्यवस्था कायम रखना, की प्राप्ति के लिए किया है।[11] इन उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से राज्य को व्यक्ति पर कतिपय अधिकार प्रदान करना आवश्यक तथा उचित है, किन्तु ये अधिकार व्यक्ति की स्वतन्त्रता और उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा के पूरक के रूप में होने चाहिए न कि इनके विरुद्ध। चूंकि व्यक्ति ने राज्य का निर्माण किया है, इसलिए राज्य का यह दायित्व है कि वह व्यक्ति की स्वतन्त्रता और नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे तथा उसके सम्मान व गरिमा को बनाये रखे।[12] अम्बेडकर के अनुसार प्राचीनकाल में विचार एंव कार्य की दृष्टि से जीवन वन्य–जातीय था। एक व्यक्ति द्वारा जो कुछ किया जाता था उसे सम्पूर्ण वन्यजाति द्वारा किया गया माना जाता था। इस प्रकार सभी प्राचीन समाजों में समाज की इकाई जनजाति या पूरा समुदाय था न कि व्यक्ति। परिणामस्वरूप किसी एक व्यक्ति का दोष समुदाय के सभी सदस्यों का दोष होता था।[13]

जैसा कि भारती का कहना है कि, अम्बेडकर व्यक्ति की स्वतन्त्रता का इस प्रकार दमन नहीं चाहते थे। वे स्वतन्त्रता के लिए मानव के शाश्वत संघर्ष को महत्व देते थे। स्वतन्त्रता से उनका आशय केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता से ही नहीं वरन् सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक एंव आध्यात्मिक स्वतन्त्रता से भी था।[14] वे चाहते थे कि राज्य को व्यक्ति की स्वतन्त्रता एंव अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए न कि उनका अपहरण। वे इस बात से इन्कार नहीं करते थे कि स्वतन्त्रता के अन्तर्गत व्यक्ति पर कुछ अवरोध हों।[15] इस दृष्टि से वे व्यक्ति के ऊपर राज्य का कुछ नियंत्रण जरूरी मानते थे किन्तु मूल बात पर वे जोर देते थे वह, जैसा कि, पूर्व में स्पष्ट किया गया, यह है कि, राज्य अपने आप में साध्य नहीं है। यह बेहतर समाज के निर्णय में मानव लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन है।[16] वास्तव में डॉ. अम्बेडकर राज्य की नियन्त्रणकारी शक्ति तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता के बीच सन्तुलन में विश्वास रहते थे।[17]

अम्बेडकर कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे। वे एक ऐसा राज्य चाहते थे जो सामान्य कार्यों के संचालन तथा शान्ति एंव व्यवस्था बनाये रखने हेतु व्यक्ति के व्यवहारों को नियन्त्रित तो करें किन्तु व्यक्ति को मूलभूत स्वतन्त्रता एंव नैसर्गिक अधिकार भी प्रदान करे, व्यक्ति के स्वास्थ्य एंव चिकित्सा की व्यवस्था करे तथा शिक्षा एंव आत्म–विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करे, जो व्यक्ति को आजीविका की स्वतन्त्रता एंव अवसर उपलब्ध कराये तथा व्यक्ति की सामाजिक भेदभाव, अन्याय एंव शोषण से रक्षा करे और सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें।[18] अम्बेडकर के अनुसार राज्य का उद्देश व्यक्ति को पृथ्वी पर सर्वोत्तम को प्राप्त करने के योग्य बनाना है। इस अर्थ में राज्य एक साधन है न कि अपने आप में साध्य और इसका कर्तव्य है कि वह एक ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण करे और उसे बनाये रखे जिसमें कि, व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।[19]

तानाशाही बनाम लोकतंत्र

अम्बेडकर राज्यशाही या अनुवाशिंक शासन परम्परा के विरूद्ध थे किन्तु अपने सार्वजनिक जीवन के आरम्भिक दौर में उन्होंने भारत में तानाशाही का समर्थन किया।[20] 4 जनवरी, सन् 1938 को शोलापुर में एक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि लोकतंत्र ऐसा आदर्श जिसे सभी परिस्थितियों में प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाए। वर्तमान सम्दर्भ में लोकतंत्र भारत में सरकार की सबसे अनुपयुक्त प्रणाली है। किसी भी रूप में कुछ समय के लिए भारत को एक ताकतवर एंव तानाशाह की जरूरत है।[21] तानाशाही की सोच के पीछे अम्बेडकर के मस्तिष्क में सम्भवतः दो बातें थी। एक तो यह कि जन्मजात भेद–भाव पर आधारित भारतीय समाज की जातीय पृष्ठभूमि लोकतंत्र की स्थापना संदिग्ध है। किन्तु सामाजिक और धार्मिक विषयों में लोकतांत्रिक तरीके से परिवर्तन लाना कठिन है।[22] अतः इसके लिए अमालपाशा या मुसालिनी जैसे तानाशाह की भारत को जरूरत होगी।

दूसरी बात यह है कि, अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि लोग सार्वजनिक महत्वों के विषयों एंव निर्णयों पर तर्क से काम लें। दूसरे शब्दों में अम्बेडकर यह चाहते थे कि, किसी व्यक्ति या दल अथवा किसी प्रकरण पर किसी व्यक्ति या दल के रूप का समर्थन या विरोध लोंगो को स्वविवेक के आधार पर करना चाहिए न कि किसी की अन्ध–भक्ति अथवा उस पर अन्ध–श्रद्धा के आधार पर किन्तु भारत में अम्बेडकर इस बात का अभाव पाते थे।[23] उनका सोचना था कि भारत में लोग आँख मूंद कर कांग्रेस और गाँधी का समर्थन करते है। वे किसी दूसरे व्यक्ति या दल की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते चाहे कितनी ही सही क्यों न हो?

अम्बेडकर की दृष्टि में किसी व्यक्ति को उसके द्वारा राष्ट्र की गई सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए सम्मान देना एक बात है और उसकी हर बात को बिना सोचे समझे आँख मूंद कर मान लेना दूसरी बात है। पहली बात तो ठीक है परन्तु दूसरी बात देश और समाज को खतरे में डाल सकती है। यह लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है।[24] इसलिए उनका मानना था कि जब तक भारतीय शिक्षित नहीं हो जाते और स्वविवेक से कार्य नही करते तब तक देश में लोकतंत्र के स्थान पर प्रबद्ध तानाशाही हितकर है।[25] अम्बेडकर का मानना था कि भारतीय प्रजातंत्र में लोग बुद्धि से नहीं विश्वास से काम लेते है। विशेषरूप से नई पीढ़ी के लोग सामाजिक एंव राजनीति विषयों के प्रति गम्भीर नहीं है, वे कम मेहनत कर अधिक से अधिक सुख और आराम

[10] कुबेर, डब्ल्यू.एन, डॉ. अम्बेडकर : अ क्रिटिकल स्टडी, (पिपुल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली) सन् 1979, पृष्ठ 295
[11] उपरोक्त, पृष्ठ 298
[12] भारती, के.एस., फाउन्डेंशन्स ऑफ अम्बेडकर थॉट, पूर्वोक्त, पृष्ठ 167
[13] उपरोक्त, पृष्ठ 172
[14] उपरोक्त, पृष्ठ 176
[15] नागर वी.ड़ी.(सम्प्र), सामाजिक न्याय के सजग प्रहरी, पूर्वोक्त, पृष्ठ 176
[16] उपरोक्त, पृष्ठ 179
[17] रिशि, हरिशचन्द्र, मानव अधिकारों के प्रबल पक्षधर डॉ. अम्बेडकर, पूर्वोक्त, पृष्ठ 209
[18] उपरोक्त, पृष्ठ 211
[19] सहारे, एम.एल., डॉ. भीमराव अम्बेडकरः हिज लाईं एंड़ मिशन, (नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्ज एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली) सन् 1987, पृष्ठ 213
[20] उपरोक्त, पृष्ठ 216
[21] उपरोक्त, पृष्ठ 219
[22] कीर धन्नजय, डॉ. अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन्स (पापलुर प्रकाशन, बाम्बे) सन् 1981, पृष्ठ 259
[23] उपरोक्त, पृष्ठ 263
[24] अहिर, ड़ी.सी., बुद्धिज्म एंड अम्बेडकर (अजय प्रकाशन, नई दिल्ली) सन् 1968, पृष्ठ 67
[25] उपरोक्त, पृष्ठ 69

पाना चाहते है। उनमें गोखले, रानाडे और तिलक का आशीर्वाद नहीं है। इसलिए भारत का भविष्य निराशाजनक है।[26]

आगे चलकर इस विषय पर अम्बेडकर के विचार बदल गये। उन्होंने तानाशाही का विरोध किया और लोकतंत्र की हिमायत की। ऐसा उन्होंने सम्भवतः इस कारण किया क्योंकि एक तो उन्हें इस बात का खतरा था कि इससे वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अपहरण होगा, जिससे व्यक्ति एंव समाज का स्वाभाविक विकास रूक जायेगा। दूसरे उन्हें आशंका थी कि तानाशाही के चलते दलित जातियों का विकास सम्भव नहीं होगा क्योंकि दलित जाति का व्यक्ति तानाशाह नहीं बन सकेगा और इस बात की कोई गारन्टी नहीं थी कि, उच्च जाति का जो व्यक्ति तानाशाह बने वह दलितों के उत्थान के प्रति ईमानदारी से समर्पित हो।[27] अम्बेडकर दलितों के हित एंव अधिकार को पूर्णतया सवर्णों के हाथों में छोड़ने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे। इसके विपरीत लोकतांत्रिक प्रणाली में उन्होंने दलितों के अधिकार को अधिक सुरक्षित पाया क्योंकि इसमें विधायिका एंव कार्यपालिका में अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व होन से दलित अपने अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए जो भी व्यक्ति या दल सत्ता में होगा उससे सौदेबाजी कर सकते हैं। परिणामस्वरूप जब अम्बेडकर को आजादी करीब आती दिखीं उन्होंने देश के लिए तानाशाही का विरोध किया और लोकतांत्रिक प्रणाली की वकालत आरम्भ की।[28] अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र तथा आनुवाशिंक या स्वनियंत्रित सत्ता में अन्तर्विरोध है। लोकतंत्र का अर्थ आनुवाशिंक सत्ता का निषेध है। लोकतंत्र की मान्यता है कि, जो लोग देश पर शासन कर रहे हैं, उन पर कहीं और किसी रूप में नियंत्रण अवश्य होना चाहिए।[29] अम्बेडकर लोकतंत्र को केवल प्रशासन की एक व्यवस्था या पद्धति ही नहीं मानते थे अपितु सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम भी मानते थे। इसलिए वे अब्राहम लिंकन द्वारा की गई लोकतंत्र की परिभाषा, ''यह जानता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार है।'' से सन्तुष्ट नहीं थे। उनके माध्यम से बिना किसी खून–खराबे के लोगों के सामाजिक–आर्थिक जीवन में क्रातिकारी परिवर्तन लाये जाते हैं।[30]

अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के स्वरूप एंव उद्देश में परिवर्तन होता रहता है। सभी समाजों में लोकतंत्र का स्वरूप जरूरी नहीं है कि एकसा हो। किसी एक समाज में लोकतंत्र के स्वरूप में भी समय के साथ परिवर्तन हो सकता हैं।[31] लोकतंत्र के उद्देश और प्राथमिकताओं में भी समय के साथ परिवर्तन होता है।

राजनीतिक प्रजातंत्र

राजनीतिक प्रजातंत्र राज्य में स्वतन्त्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के सिद्धान्तों के आधार पर राजनीतिक सम्बन्धों के नियमन एवं राजनीतिक गतिविधियों के संचालन की एक विधि है। यद्यपि प्रजातंत्र में स्वतन्त्रता, समानता एवं भ्रातृत्व तीनों ही तत्वों का होना आवश्यक है तथापि राजनीतिक प्रजातंत्र में स्वतन्त्रता को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है।[32] राजनीतिक प्रजातंत्र में एक नागरिक का अन्य किसी नागरिक की भांति अपना एक महत्व होता है जिसे वह अपनी इच्छानुसार देने के लिए स्वतन्त्र होता है।

मताधिकार एवं अवसर की समानता का संविधान में प्रावधान कर देने मात्र से ही प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हो जाती। जो लोग पहले से अधिक सशक्त है।[33] तात्पर्य यह है कि, राजनीतिक प्रजातंत्र में समानता के अपेक्षित महत्व को स्वीकार नहीं किया है और न ही इसने स्वतन्त्रता व समानता के बीच प्रभावकारी सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास किया है।[34]

अधिकांश समाजों में इसका दुष्परिणाम यह देखने को मिलता है कि स्वतन्त्रता समानता को निगल जाती है और प्रजातन्त्र वास्तव में प्रजातन्त्र नहीं बल्कि उसका दिखावा मात्र रह जाता है।[35] डॉ. अम्बेडकर ने सरकार के प्रजातांत्रिक प्रारुप की हिमायत तो की किन्तु प्रजातंत्र को कभी अन्तिम सत्य नहीं माना। उनकी दृष्टि में प्रजातंत्र मुख्यतः श्रेयस्कर इसलिए है कि, यह व्यक्ति को विकास के लिनए आवश्यक स्वतन्त्रता एवं अधिकार भी प्रदान करता है।[36] विचार की अभिव्यक्ति, पेशा चुनने की स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है जो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास के लिए जरूरी है। इसी प्रकार व्यक्ति को शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक, श्रमिक एवं धार्मिक संस्थाएं बनाने का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए जिसके माध्यम से वह अपनी समस्याओं को सरकार के सम्मुख प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत कर सके।[37]

नागरिकों के इन लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों के रूप में किया है। इसके साथ ही उन्होंने संविधान में इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्याय के प्रावधान की व्यवस्था भी की है।[38] अम्बेडकर मानते थे कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य एवं सरकार का दायित्व है।

अम्बेडकर की दृष्टि में राजनीतिक प्रजातंत्र निम्न चार मान्यताओं पर निर्भर करता है–

(i) व्यक्ति अपने आप में साध्य है।

(ii) व्यक्ति के कुछ अपृथक अधिकार होते हैं जिन्हं उसे संविधान द्वारा अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए।

(iii) व्यक्ति पर ऐसी कोई पूर्व शत्र नहीं थोपी जानी चाहिए कि किसी सुविधा की प्राप्ति के लिए उसे अपने संवैधानिक अधिकारों में से किसी को छोड़ना पड़ेगा।

---

[26] कीर धन्नजय, डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर जीवन–चरित पूर्वोक्त, पृष्ठ 276
[27] भगवान दास (संक), दस स्पोक अम्बेडकर (खण्ड 1) (बुद्धिस्ट पब्लिशिंग हाऊस, जालाधंर) सन् 1963, पृष्ठ 37

[28] उपरोक्त, पृष्ठ 40
[29] उपरोक्त, पृष्ठ 43
[30] उपरोक्त, पृष्ठ 46
[31] उपरोक्त, पृष्ठ 49

[32] सिंह, आर.जी. अस्पृश्यताऔर परिवर्तनशील सामाजिक समीकरण, पूर्वोत पृष्ठ 132
[33] उपरोक्त, पृष्ठ 136
[34] उपरोक्त, पृष्ठ 138
[35] उपरोक्त, पृष्ठ 141
[36] भगवान दास (संक), दस स्पोक अम्बेडकर (खंड 1), पूर्वोक्त, पृष्ठ 87
[37] उपरोक्त, पृष्ठ 90
[38] उपरोक्त, पृष्ठ 93

(iv) राज्य किन्हीं व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों पर शासन करने का निजी अधिकार स्थानान्तरित नहीं करेगा।[39]

अम्बेडकर का प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण व्यक्ति मूलक है। वे व्यक्ति और समाज केसम्बन्ध को व्यक्ति और राज्य के सम्बन्ध की तुलना में कही अधिक महत्वपूर्ण मानते थे।[40] वे व्यक्ति के कार्यों और अधिकारों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप चाहते थे। प्रजातंत्र में नियमबद्धताकी तुलना में वे सामाजिक दायित्व को अधिक महतव प्रदान करते थे।[41]

लोकतांत्रिक सरकार का स्वरूप

भारत में लोकतांत्रिक शासन का स्वरूप क्या हो ? इसका निर्धारण करते समय विधान निर्मात्री सभा के सम्मुख लोकतांत्रिक सरकार की दो प्रभुत्व प्रणालियाँ थी।[42] एक थी अमेरिकी राष्ट्रपति पद्धति और दूसरी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली।

इन प्रणालियों में से किसी एक का चुनाव किया जाना था। इस विषय पर विधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के अलग–अलग मत थे। कुछ सदस्य ब्रिटिश और कुछ अमेरिकी शासन पद्धति के पक्ष में थे जबकि कुछ इन दोनों में से किसी भी पद्धति के पक्ष में नहीं थे किन्तु लम्बी चर्चा के उपरान्त अधिकांश सदस्य इस मत के हो गय कि ब्रिटेन में जिस प्रकार की शासन पद्धति है उसी ढंग की शासन पद्धति हमारे देश के लिए उपयुक्त होगी।[43] अम्बेडकर का कहना है कि यद्यपि कम्युनिष्ट एवं सोशलिस्ट आज भी भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली को पसन्द नहीं करते परन्तु निजी तौर पर उनका इस पद्धति से बहुत निकट का लगाव है।[44]

भारतीय संविधान में संसदीय संघ शासन पद्धति की कल्पना की गई है, जिसका प्रभुत्व अमेरिका के संयुक्त राज्यों के प्रभुत्व की भांति राष्ट्रपति होता है। तथापि भारतीय शासन पद्धति तथा अमेरिकी शासन पद्धति में नामों की समरूपता के अतिरिक्त अन्य कोई समानता नहीं है।[45] दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे से मूलतः भिन्न है।

अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यकारिणी का प्रमुख होता है। प्रशासनिक शक्ति उसमें निहित होती है। भारतीय संविधान में भी राष्ट्रपति का ही स्थान प्रमुख है परन्तु उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति जैसी नहीं हे अपितु बहुत कुछ वैसी है जैसी कि ब्रिटिश संविधान में वहाँ के राजा की है। वह राज्य का प्रमुख तो होता है किन्तु कार्यकारिणी की नही। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है किन्तु राष्ट्र का शासन नहीं करता।[46] वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन मे उसका स्थान बहुत कुछ उस मुद्रा जैसा है, जो शासकीय निर्णयों की अभिव्यक्ति की प्रणाली के रूप में प्रयुक्त होती है।

अम्बेडकर के अनुसार अमेरिकी संविधान के तहत् वहाँ के राष्ट्रपति के अधीन कई सचिव (अथवा मंत्री) होते हैं। जो विभिन्न विभागों का काय्र देखते हैं। उसी प्रकार भारतीय संघा के राष्ट्रपति के अधीन भी कई मंत्री होगे जो अपने अधीन विभागों के लिए उत्तरदायी के लिए होंगे।[47] किन्तु इस समानताके बावजूद दोनों प्रणालियों में एक बड़ा अन्तर यह होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने किसी सचिव की सलाह मानने या न मानने के लिए स्वतन्त्र है जबकि भारतीय संघ का राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की बात मानने के लिए बाध्य होगा। वह उनकी सम्मति के विरुद्ध न तो कुछ कह सकता है और न उनकी सम्मति के विरूद्ध न तो कुछ कह सकता है और न उनकी सम्मति लिए बिना कुछ कर सकता है।[48] अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी इच्दानुसार अपने किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। परन्तु भारतीय राष्ट्रपति को ऐसा करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि मंत्रियों को संसद में बहुमत प्राप्त है।[49]

अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से पृथक होती है। राष्ट्रपति और उनके सचिव अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते। भारतीय संविधान इस सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। भारत में केवल संसद सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। मंत्री को वे सभी अधिकार जैसे सदन में बैठना, सदन की बहस व कार्यवाहियों में भाग लेना, मत देना आदि होते हैं जो किसी संसद सदस्य के होते है।[50] इस दृष्टि से भारतीय कार्यकारिणी अमेरिकी कार्यकारिणी से भिन्न है। इसकी रचना बहुत कुछ ब्रिटिश कार्यकारिणी के समान हैं अम्बेडकर ने ब्रिटिश संसदीय कार्यकारिणी से भिन्न है। इसकी रचना बहुत कुछ ब्रिटिश कार्यकारिणी के समान है। अम्बेडकर ने ब्रिटिश का उल्लेख किया है। वे विशेषताएं निम्न हैः–

(i) यह उस दल को जिसने, विधानमण्डल में बहुमत प्राप्त किया हैं सरकार बनाने का अधिकार प्रणन करती हैं।

(ii) यह बहुमत प्राप्त दल को यह अधिकार प्रदान करती है कि सरकार में उन व्यक्तियों को सम्मिलित न करें जो उस दल के सदस्य नहीं है।

(iii) इस प्रकार जो सरकार बनती है वह तक कार्य कर सकती हैं जब तक कि विधानमण्डल में उसका बहुमत बना रहता है। यदि सरकार बहुमत खो देती है तो उसे त्याग–पत्र देना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में या तो वर्तमान विधानमण्डल के सदस्यों द्वारा नई सरकार का गठन हो सकताहे या नये चुनाव से बने विधान मण्डल द्वारा नई सरकार बनती है।[51]

वाल्टर बैंजर ने ब्रिटिश शासन प्रणाली को बाद विवाद पर न कि घूस पर आधारित सरकार कहा है। ब्रिटिश संसदीय सरकार में निर्णय सदा वाद–विवाद के आधार पर लिये जाते है। ब्रिटिश संसद में निर्णय लेते समय शासद ही कभी हाथापाई या गड़बड़ी होती है। इसके विपरीत क्रान्स की राजनीति में बहुधा मुक्का–मुक्की के उपरान्त ही किसी निर्णय पर पहुँचा जाऊ है।[52] अम्बेडकर का कहना हैं कि आज के

39 उपरोक्त, पृष्ठ 96
40 उपरोक्त, पृष्ठ 102
41 सिंह, आर.जी., भारतीय दलितों की समस्यायें एवं उनका समाधान (मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल) सन् 1986, पृष्ठ 67
42 उपरोक्त, पृष्ठ 70
43 जिज्ञासु, चन्द्रिका प्रसाद, बाबसाहेब के पन्द्रह व्याख्यान, (बहुचन कलयाण प्रकाशन, लखनऊ) सन् 1980, पृष्ठ 143
44 उपरोक्त, पृष्ठ 147
45 उपरोक्त, पृष्ठ 152
46 उपरोक्त, पृष्ठ 154
47 उपरोक्त, पृष्ठ 159
48 भगवान दास (संक), दस स्पोक अम्बेडकर (खंड 2) (बुद्विस्ट पब्लिशिंग हाउस, जालंधर) सन् 1968, पृष्ठ 187
49 उपरोक्त, पृष्ठ 191
50 उपरोक्त, पृष्ठ 194
51 जिज्ञासु, चन्द्रिका प्रसाद, बाबासाहब के पन्द्रह व्याख्यान, पूर्वोक्त, पृष्ठ 167
52 उपरोक्त, पृष्ठ 170

संसदीय लोकतंत्र के सन्दर्भ में बैंजर की परिभाषा उपयोगी नहीं है। अम्बेडकर के अनुसार संसदीय सरकार प्रणाली में मुख्य रूप से तीन बातें पाई जाती है–

(i) संसदीय सरकार पद्धति आनुवंशिक शासनाधिकार के नियम का निषेध करती है। इस पद्धति में कोई व्यक्ति आनुवंशिक आधार पर शासक बनाने का दावा नहीं की सकता। जो कोई भी शासन करना चाहता है उसे समय–समय पर जनता के द्वारा अवश्य चुना गया होना चाहिए।

(ii) सार्वजनिक जीवन से सम्बन्धित कोई भी कानून कायदा ऐसे लोगों की राय से ही बनाया जाता है जो जनता के द्वारा चुने गये हैं। संसदीय लोकतंत्र में कानून संसद में जनता के चुने गये प्रतिनिधियों के द्वारा ही बनाये जाते हैं। राज्यशाही की भांति इस प्रणाली में किसी एक व्यक्ति के पास सत्ता नहीं होती जो कानून बनाने, सरकार चलाने तथा सबकुछ जानने का दावा कर सकता हो। यह ठीक है कि इस व्यवस्था में भी राज्य का शासन किसी एक व्यक्ति जो राज्य का प्रमुख होता है, के नाम से ही चलता है किन्तु वह मात्र दिखावे का प्रमुख होता है, वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के हाथ में होती है।[53]

(iii) वास्तविक सत्ता जिन जन प्रतिनिधियों के हाथ में होती है उन्हें एक निर्धारित अवधि के पश्चात् जनता का पुनः विश्वास प्राप्त करना होता है। ब्रिटेन में पहले सात वर्ष के पश्चात् चुनाव होता था किन्तु बाद में पाँच वर्षों के उपरान्त होने लगा।

संसदीय सरकार केवल वाद–विवाद से चलने वाली सरकार नहीं वरन् इससे बहुत अधिक है। विरोध पक्ष एंव निष्पक्ष चुनाव इसके आधार स्तम्भ हैं जिन पर यह व्यवस्था टिकी हुई हैं।[54] अम्बेडकर के अनुसार विरोध स्वतंत्र जीवन की कुंजी है। विरोध के अभाव में कोई लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक देशों का मानना है कि विरोध भी स्वतंत्र जीवन की कुंजी है। विरोध के अभाव में काइ लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक देशों का मानना है कि विरोध भी उतना ही जीवित व जागृत होना चाहिये जितना कि सरकार। विरोध के अभाव में सरकार तथ्यों को छुपा सकती है, तथ्यों को दबा सकती है, जिससे केवल सरकार का एक पक्षीय प्रचार हो सकता है।[55] ऐसी स्थिति में जनता को सरकार की कामकाज की सही जानकारी नहीं मिलती। परिणामस्वरूप जनता चुनाव के समय अपने मताधिकार का न्यायपूर्ण उपयोग नहीं कर पाती। स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव संसदीय जनतंत्र का दूसरा आधार स्तम्भ है, क्योंकि समुदाय के एक भाग से दूसरे भाग मं बिना खराबे के सत्ता के शक्तिपूर्ण हस्तान्तरण के लिए यह जरूरी है।[56] चुनाव पूर्णतया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होने चाहिए। यह लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि, वे जिन्हें चाहें व्यवस्थापिकाओं में चुन कर भेजें।

अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय पद्धति में से किसी एक का चुनाव करना कठिन है। दोनों ही पद्धतियों जनतांत्रिक दोनों ही संसदीय है। दोनों के ही गुण एवं दोष है। एक लोकतांत्रिक शासन पद्धति में दो बातों का होना आवश्यक होता है।

(अ) सरकार (कार्यपरिषद् या मंत्रिपरिषद्) स्थायी हो

(ब) सरकार उत्तरदायी हो।[57]

दुर्भाग्यवश अब तक किसी ऐसी शासन पद्धति की रचना नहीं हो पाई है जिसमें उपर्युक्त दोनों विशेषताएं बराबर मात्रा में पाई जाती हों। कोई शासन प्रणाली ऐसी हो सकती है जो अधिक स्थायी हो किन्तु कम उत्तरदायी हो। इसके विपरीत कोई शासन प्रणाली ऐसी हो सकती है जो अधिक उत्तरदायी हो किन्तु कम स्थायी हो।[58]

अमेरिकी और स्विस शासन प्रणालियाँ अधिक स्थायित्व रखती हैं। इसके विपरीत यदि ब्रिटिश शासन प्रणाली को अपनाया जाता है तो वह अधिक उत्तरदायित्व दे सकती है, किन्तु ऐसी सरकार तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी होती है। इसका कारण स्पष्ट है। अमेरिकी कार्यकारिणी (सरकार या मंत्रिपरिषद्) एक असंसदीय कार्यकारिणी है। यह संसद के बहुमत पर निर्भर नहीं रहती। असंसदीय होने के कारण अमेरिकी 'कांग्रेस अमेरिकी कार्यकारिणी को भंग नहीं कर सकती। इसके विपरीत एक संसदीय सरकार, जैसी कि ब्रिटेन में है, जिस क्षण संसद में बहुमत खो देती है, उसे त्यागपत्र देना आवश्यक होता है।[59] इसलिए यह तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होती है। उत्तरदायी की दृष्टि से देखा जाए तो संसद पर निर्भर नहीं होने के कारण एक संसदीय कार्यकारिणी, जैसी कि अमेरिकी में है, अधिक उत्तरदायित्व नहीं होती। इसके विपरीत एक संसदीय कार्यकारिणी जैसी कि ब्रिटेन में है, संसद में बहुमत पर अधिक निर्भर होने के कारण अधिक उत्तरदायी हो जाती है भले ही यह स्थायी कम हो।[60]

संसदीय एंव गैर संसदीय प्रणालियाँ केवल इस बात में ही भिन्न नहीं होती कि पहले दूसरी से अधिक उत्तरदायी होती है, वरन् वे उत्तरदायित्व के आकलन की अवधि तथा अभिकरण में भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। असंसदीय प्रणाली, जैसी कि अमेरिका में है, में कार्यकारिणी के उत्तरदायित्व का आकलन एक निश्चित समयावधि पर ही होता है, यह चार वर्ष में एक बार होता है। यह मतदाताओं द्वारा किया जाता है। इंग्लैण्ड में जहाँ संसदीय सरकार है, कार्यकारिणी के उत्तरदायित्व का आकलन प्रतिदिन होता है साथ ही एक निश्चित अवधि के उपरान्त भी होता है। प्रतिदिन का आकलन संसद सदस्यों द्वारा संसद में पूछे गये प्रश्नों, प्रस्तावों (रिजोल्यूशन), स्थगन प्रस्तावों (पीरियडिक एसेसमेन्ट) चुनावों, जो पाँच वर्षों या इसके पूर्व हो सकते हैं, के समय मतदाताओं द्वारा किया जाता है।[61] यह अनुभव किया गया है कि कार्यकारिणी के उत्तरदायित्व का दैनिक आकलन, जो कि अमेरिकी प्रणाली में नहीं पाया जाता है

[53] उपरोक्त, पृष्ठ 173
[54] उपरोक्त, पृष्ठ 177
[55] भगवान दास (संक), दस स्पोक अम्बेडकर (खंड 2) पूर्वोक्त, पृष्ठ 223
[56] उपरोक्त, पृष्ठ 226
[57] उपरोक्त, पृष्ठ 279
[58] रिशि हरिशचन्द्र, मानव अधिकारों के प्रबल डॉ. अम्बेडकर, पूर्वोक्त, पृष्ठ 236
[59] उपरोक्त, पृष्ठ 242
[60] उपरोक्त, पृष्ठ 244
[61] भगवान दास (संक) दस स्पोक अम्बेडकर (खंड 3) पूर्वोक्त, पृष्ठ 82

किन्तु ब्रिटिश प्रणाली में पाया जाता है, आवृत्तिकालिक आकलन की तुलना में अधिक प्रभावकारी होता है और अम्बेडकर की दृष्टि में भारत जैसे देश के लिए यह आवश्यक व उपयोगी भी है। इसी आधार पर सौदा संविधान ने संसदीय कार्यकारिणी की अनुशंसा करते समय उत्तरदायित्व को स्थायित्व की तुलना में प्राथमिकता प्रदान की है।[62]

संसदीय प्रजातंत्र के अंग

सदियों से यह विश्वास किया जाता है कि संसदीय प्रजातंत्र प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, सम्पत्ति एंव प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति का अधिकार प्रदान करेगा। ऐसे विश्वास के लिए पर्याप्त आधार है, क्योंकि संसदीय प्रजातंत्र लोकप्रिय सरकार अर्थात् जनता की, जनता के द्वारा एंव जनता के लिए सरकार की व्यवस्था करता है।[63]

संसदीय प्रजातंत्र के मुख्य अंग निम्न हैः–

विधायिका :

अम्बेडकर प्रजातंत्र को शासन पद्धति की तुलना में सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में अधिक महत्व देते थे। इस दृष्टि से लोकतंत्र में विधायिका का महत्व बहुत बढ़ जाता है क्योंकि विधायिका के माध्यम से ही लोकतांत्रिका व्यवस्था में बिना किसी खून–खराबे के शान्तिपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है।[64] समाज में परिवर्तन सामान्यतया कानून के द्वारा होता है। पजातंत्र में विधायिका जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह कानून की निर्मत्री है।

विधायिका द्वारा पारित कानून जनता की इच्छा एंव आकांक्षा का प्रतीक होता है। इस प्रकार लोकतंत्र में विधायिका एंव कानून के माध्यम स वांछित समाज व्यवस्था को मूर्तरूप देने का प्रयास किया जाता है।[65] अम्बेडकर के अनुसार कानून का वास्तविक कार्य समाज की त्रुटियों को दूर करना है किन्तु दुर्भाग्य से भारत में लम्बे समय तक मनु व याझवल्क्य आदि स्मृतिकारों द्वारा प्रणीत कानून ही व्यवहार में लाये जाते रहे। स्मृतिकारों द्वारा बनाये गये कानून ही व्यवहार में लाये जाते रहे। स्मृतिकारों द्वारा बनाये गये कानूनों को लोग ईश्वरीय कानून समझते रहे जिनके कारण समाज में अपेक्षित सुधार लाया जाना संभव नहीं हो सका।[66] यूरोप में बहुत पहले ईश्वरीय कानूनों का स्थान लौकिक कानूनों ने लिया। चर्च का कार्यक्षेत्र केवल पुरोहित तक सीमित हो गया। इसलिए पश्चिमी समाज प्रगति के शिखर तक पहुँचने में कामयाब हो गये। भारत में कौटिल्य ने यद्यपि लौकिक की बुनियाद रखी थी किन्तु कालान्तर में यहाँ ईश्वरीय कानूनों की ही विजय हुई। यह भारतीय समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सचिव हुआ। कानून में समायानुकूल परिवर्तन न ला पाने के कारण ही भारतीय समाज वतन को प्राप्त हुआ।[67]

संसदीय लोकतंत्र में नये समाज की रचना का दायित्व मुख्यरूप से विधायिका का है। संविधान में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए आवश्यक कानून बनाने पड़ते हैं। यह कार्य विधायिका सम्पन्न करती है। भूमि सुधार कानून, नगरीय सम्पत्ति कानून, श्रम सन्नियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, सामाजिक विधान तथा नागरिक अधिकार, सुरक्षा अधिनियम आदि के माध्यम से विधायिका ने भारत में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है।[68] सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होने के साथ विधायिका लोगों के विचारों की अभिव्यक्ति की भी सशक्त माध्यम है।

कार्यपालिका :

ब्रिटिश–संसदीय प्रजातांत्रिक पद्धति में सरकार बनाने का अवसर उस दल का होता है जिसका संसद में बहुमत होता है।[69] नेता अपने दल के सांसदों में से मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद, कार्यकारिणी या कार्यापालिका के रूप में जानी जाती है जो संवैधानिक दायरे के भीतर शासन एवं विकास संबंधी कार्यों का सम्पादन करती है। कार्यपालिका (मंत्रिमण्डल) तब तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक उसे संसद में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है बहुमत खो देने पर उसे त्यागपत्र देना जरूरी होता है। ताकि नई सरकार का गठन हो सके।[70] नई सरकार संसद में बहुमत के समर्थन पर बन सकती है अथवा संसद को भंग कर चुनी गई संसद में बहुमत प्राप्त दल द्वारा बनाई जा सकती है। संविधान भी मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में अम्बेडकर ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अनुरूप भारत में कार्यकारिणी के गठन का प्रावधान किया।[71] यद्यपि पूर्व में अनुसूचित जाति संघ के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा को जो ाापन उन्होंने सौंपा था, जो बाद में 'स्टेट एण्ड माइनापिटीज' शीर्षक से एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशित भी हुआ।[72] उसमें उन्होंने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के समानान्तर भारत में संसदीय प्रणाली की सिफारिश तो की थी किन्तु कार्यकारिणी का जो ढंग प्रस्तावित किया था वह ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न बहुत कुछ अमेरिकी प्रणाली के निकट था।

अम्बेडकर का कहना था कि ब्रिटिश संसदीय पद्धति में बहुमत दल द्वारा मंत्रीमण्डल का गठन करने में कोई बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रिटेन में जो बहुमत होता है वह राजनीतिक बहुमत होता है किन्तु भारत में जो बहुमत होगा वह राजनीतिक नहीं वरन् साम्प्रदायिक बहुमत होगा।[73] इसलिए भारत में यदि ब्रिटेन की भांति कार्यपरिषद के गइन का प्रावधान किया जाता है तो इसका अर्थ कार्यकारिणी की शक्ति को सदा सर्वदा के लिए साम्प्रदायिक (अर्थात् हिन्दू साम्प्रदायिक) बहुमत के हाथों में सौपना होगा। ब्रिटिश शासन प्रणाली में यह आवश्यक नहीं है कि बहुमत अपने मंत्रिमण्डल में अल्पमत के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करे ही। इसलिए यदि सरकार की यह व्यवस्था स्वीकार की जाती है तो भारत में बहुमत समुदाय शासक वर्ग होगा और अल्पमत समुदाय शासित जाति।[74] इसका अर्थ यह होगा कि बहुमत समुदाय अल्पमत के लिए क्या अच्छा है ?

शासन चलाने के लिए स्वतन्त्र होगा। शासन का यह स्वरूप प्रजातन्त्र नहीं वरन् साम्राज्यवाद होगा। इस प्रकार निर्मित

[62] उपरोक्त, पृष्ठ 86
[63] उपरोक्त, पृष्ठ 89
[64] उपरोक्त, पृष्ठ 92
[65] अहिर, डी.सी., डॉ. अम्बेडकर एंड इण्डियन कांस्टिच्यूशन (बुद्धि विहार, लखनऊ) सन् 1972, पृष्ठ 37
[66] उपरोक्त, पृष्ठ 39
[67] उपरोक्त, पृष्ठ 42
[68] बाली एल. आर., डॉ. अम्बेडकर और भारतीय संविधान, (थीम पत्रिका प्रकाशन, जालंधर) सन् 1980, पृष्ठ 197
[69] उपरोक्त, पृष्ठ 203
[70] उपरोक्त, पृष्ठ 207
[71] बरोले, पी.टी. डॉ. अम्बेडकर एंड? कान्स्टीज्यूशन ऑफ इंडिया, पूर्वोक्त, पृष्ठ 19
[72] उपरोक्त, पृष्ठ 23
[73] उपरोक्त, पृष्ठ 27
[74] डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर, राइटिंग्स एंड स्पीचेज (खंड 2) (गवर्नमेन्ट ऑफ महाराष्ट्र प्रकाशन, बाम्बे) सन् 1982, पृष्ठ 67

कार्यकारिणी अल्पसंख्यकों विशेषरूप से अछूतों की स्वतन्त्रता, जीवन रक्षा तथा प्रसन्नता एवं सुख की प्राप्ति बहुत ही खतरनाक साबित होगी। ऐसी कार्यकारिणी के गठन से अंग्रेज–भारत की तुलना में स्वतन्त्र–भारत में अछूतों की समस्याएं और बढ़ेगी क्योंकि प्रशासन के साथ विधायिका और कार्यपालिका भी अछूतों के प्रति उदासीन एवं कठोर होगी।[75] परिणामस्वरूप भारत में स्वतन्त्रता का अर्थ दलितों के लिए हिन्दुओं की अधिकाधिक दासता होगी।

ब्रिटिश कार्यपालिका को अपनाये जाने से अछूतों व अल्पसंख्यकों के हितों के असुरक्षित होने का खतरा तो है ही इसके अतिरिक्त इसके विरूद्ध एक अन्य बात यह है कि इस पद्धति ने भले ही ब्रिटेन में मजबूत व टिकाऊ सरकारें दी हों किन्तु भारत में ऐसी सम्भावना बहुत ही कम है।[76] ''भारतीय व्यवस्थापिका में'' अम्बेंडकर ''जाति व धर्म सम्बन्धी विवादों के रहने अनेक दलों एवं समूहों का होना अवश्यम्भावी है। परिणामस्वरूप भारत में बहुमत खोने पर उसे त्यागपत्र देना जरूरी होता है। कार्यपालिका अत्यधिक अस्थिर हो जाएगी। व्यवस्थापिका में बहुधा समूहों को लेकर छोटी–छोटी बातों से सम्बन्धों एवं समीकरणों में उल्टफेर होना स्वाभाविक है जिसकी परिणति सरकारों के पतन में होगी।[77] अंग्रेजों के जाने के बाद विभिन्न राजनैतिक दलों में जो एकता बनी हुई है वह टूट जाएगी। सरकारों का स्थायी रूप से हटना अराजकता के अतिरिक्त कुछ नहीं है।[78] इसलिए संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि इस अस्थायित्व को रोका जा सके। स्वतन्त्र भारत में दलितों एवं अलपसंख्यकों के हितों की सर्वोत्तम रखा हो सके इस दृष्थि से अम्बेडकर ने कार्यकारिणी के निम्न स्वरूप को प्रस्ताव किया:–

1. कार्यकारणी (केन्द्रीय या राज्य) इस अर्थ में गैर संसदीय होगा कि इसे संसद या विधानसभा की निर्धारित अवधि के पूर्व भंग नहीं किया जा सकेगा।

2. व्यवस्थापिका का सदस्य न होते हुए भी कोई व्यक्ति कार्यपरिषद् या मंत्रिमण्डल का सदस्य बन सकेगा और ऐसे व्यक्ति को व्यवस्थापिका की कार्यवाहियों में भाग लेने अर्थात् व्यवस्थापिका में बोलने, मत देने एवं प्रश्नों के उत्तर देने का अधिकार होगा।

3. प्रधानमंत्री का चुनाव केवल बहुमत दल के द्वारा नहीं वरन् सम्पूर्ण सदन के द्वारा किया जायेगा।[79]

4. मंत्रिमण्डल में किसी अल्प–संख्यक समूह के प्रतिनिधि का चुनाव व्यवस्थापिका में उसके सभी सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

5. मंत्रिमण्डल या कार्य परिषद में बहुमत समुदाय के सदस्यों का चुनाव पूरे सदन द्वारा किया जाएगा।

6. मंत्रिमण्डल या कार्य परिषद का सदस्य स्वयं के त्यागपत्र देने अिवा सदन द्वारा भ्रष्टाचार या राजद्रोह का अभियोग लगाये जाने की स्थिति में हों मंत्रिमण्डल से हटाया जा सकेगा।[80]

अम्बेडकर के अनुसार कार्यकारिणी के गठन का यह प्रस्ताव वास्तव में अमेरिकी शासन प्रणाली का संशोधित स्वरूप है जिसमें कार्यकारिणी का सदस्य व्यवस्थापिका में बैठ सकता है, बोल सकता है और प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। प्रस्तावित कार्यकारिणी निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है:–[81]

(i) बहुमत को अल्पमत की उपेक्षा कर सरकार बनाने से रोकना।

(ii) बहुमत को प्रशासन पर संपूर्ण एवं एकतरफा निमन्त्रण स्थापित करने से रोकना।

(iii) बहुमत को कार्यकारिणी में अल्पमत के ऐसे प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने से रोकना जिन्हें उसका विश्वास प्राप्त न हो।

(iv) अच्छे और कारगर प्रशासन की दृष्टि से टिकाऊ कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) की रचना करना।

न्यायपालिका

अम्बेडकर न्यायपालिका को लोकतांत्रिक संस्थाओं में सर्वोच्च स्थान प्रदान करते थे क्योंकि लोकतंत्र में न्यायपालिका ही व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और उन्हें संविधान द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर बांध कर रखती है।[82] अम्बेडकर की दृष्टि से लोकतंत्र में व्यक्ति के मौलिक अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है किन्तु अधिकार यथार्थ तभी होते है जबकि उनके रक्षा की आवश्यक व्यवस्था भी हो। अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है यदि उन पर होने वाले किसी आक्रमण के विरूद्ध कानूनी न्याय पाने के लिए संविधान में आवश्यक प्रावधान नहीं किया गया हो। इसलिए जब संविधान व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान करता है तो उसे इस बात का भी प्रावधान करना चाहिए कि व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका उनका अतिक्रमण न कर पाये।[83] यह कार्य न्यायपालिका सम्पादित करती है।

न्यायालयों को व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षक होना चाहिए और उन्हें इसके लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। इस दृष्टि से (1) न्यायपालिका को पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि वह ब्रिटिश कानून की भांति विशेषाधिकार सम्पन्न वैधानिक अनुदेश जारी कर सके और (2) विधानपालिका या व्यवस्थापिका को इन अधिकारों को मना करने या कम करने से रोका जा सके। अम्बेडकर का कहना था कि क्या इतना काफी है कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय हो ? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के साथ यह भी जरूरी है कि उसकी व्यापक अधिकार प्रदान किये जाये।[84] फिर भी यदि उसके फैसलों और आदेशों को लागू न किया जा सके तो

75 उपरोक्त, पृष्ठ 69
76 उपरोक्त, पृष्ठ 72
77 लिमये मधु, डॉ. अम्बेडकर : एक चिन्तन, पूर्वोक्त, पृष्ठ 219
78 उपरोक्त, पृष्ठ 223
79 उपरोक्त, पृष्ठ 227
80 भारती के. एस, फाउण्डेशन आफ अम्बेडकर थॉट पूर्वोक्त, पृष्ठ 116
81 उपरोक्त, पृष्ठ 120
82 उपरोक्त, पृष्ठ 123
83 भगवान दास (संक) दस स्पोक अम्बेडकर (खंड 3) पूर्वोक्त, पृष्ठ 243
84 उपरोक्त, पृष्ठ 247

मजबूत केन्द्रीय सरकार का सारा ढाँचा खड़ा करने का क्या हक है ? तात्पर्य यह है कि डॉ. अम्बेडकर स्वतन्त्र न्यायपालिका को व्यापक अधिकार दिये जाने के भी पक्षधर थे। वे चाहते थे कि केन्द्रीय विधान मण्डल के पास कानूनों को लागू करने की व्यापक शक्ति होनी चाहिए।[85] सर्वोच्च न्यायालय के पास विचारण और न्यायवितरण के प्रभावकारी अधिकार होने चाहिए[86] संसदीय लोकतंत्र केवल नीतियों एवं कार्यक्रमों की रचना से ही नहीं चलता अपितु उन नीतियों एवं कार्यक्रमों को मूर्तरूप देने के लिए उसे आवश्यक पहल भी करनी होती है। लोकतंत्र में लोगों को आवाज को प्रभावकारी ढ़ग से उठाने तथा नीतियों और कार्यक्रमों की रचना एवं क्रियान्वयन की दृष्टि से, राजनीतिक दलों को होना जरूरी है।[87]

सशक्त विरोधी दल का अस्तित्व में होना

राज्यशाही में राजा का कोई विरोधी (व्यक्ति अथवा दल) राज दरबार में नहीं होता । जनतंत्र का अर्थ है शासन सत्ता के साथ एक मान्यता प्राप्त विरोध का अस्तित्व में होना, जिससे सत्ता पर नियन्त्रण रखा जा सके और उसे स्वेच्छाचारी करने से रोका जा सके।[88] अम्बेडकर के अनुसार जनतंत्र के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को शासन करने का शाश्वत अधिकार नहीं है। लोगों के अनुमोदन से किसी को एक निर्धारित अवधि के लिए शासन का दायित्व सौंपा जाता है। किन्तु जहाँ इस अवधि के भीतर भी सदन में उसे चुनौति दी जा सकती है वही निर्धारित अवधि के व्यतीत होने के उपरांत उसे सत्ता में बने रहने के लिए लोगों का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है।

अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र को सफलता के लिए जरूरी है कि कम से कम दो राजनैतिक दल हो – एक सरकार चलाने के लिए और दूसरा उस पर चौकसी रखने के लिए, जिससे वह स्वेच्छाचारी और भाई भतीजावादी नहीं बन सके।[89] एक दल का शासन लोकतंत्र के लिए खतरा है। इससे अधिनायकवाद तथा भाईवाद को बढ़ावा मिलता है। अम्बेडकर के अनुसार यह मानना है कि भाई भतीजावाद नहीं रहेगा, क्योंकि यह चुनाव पर आधारित है और सहमति इस बिना पर जाहिर की जा सकती है, क्योंकि ऐसा करने वाले चुने गये लोग भवने है, गलत है। चुनाव का विषय बना देने से पक्षपात व भाई–भतीजावाद समाप्त हो जाएगा यह जरूरी नहीं है।[90] इसको दबाने के लिए जरूरी है कि सप्तासीन अधिनायकवादी दल को प्रतिद्विन्द्वी दल द्वारा सत्ताच्युत किया जावे।

लोकतंत्र में विरोध का सशक्त होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि कमजोर विरोध सरकार पर सतर्क निगरानी और निरन्तर चौकसी रखने में समर्थ नहीं होता। अगले चुनाव तक विरोध पक्ष सरकार की गतिविधियों पर बराबर नजर रखता है और उसकी किसी भी गलती पर उसे सदन या सदन से बाहर जवाबदेह बनाता है।[91] यही कारण है कि ब्रिटेन एवं कनाड़ा में विरोधी दल के नेता को शासन की ओर से संसद में पृथक कमरा, कार्यालय तथा टाईपिस्ट, स्टेनाग्राफर सचिव व अन्य आवश्यक स्टाफ दिया जाता है, जिससे कि वह विरोध पक्ष के दायित्व का सुचारू रूप से संपादन कर सके। ऐसा करने के पीछे ब्रिटेन व कनाड़ा के लोगों की मंशा यह थी कि, कोई न कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो जनता को यह बताये कि सरकार गलत दिशा में जा रही है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह कार्य सतत व निरन्तर होना चाहिए।[92]

''कानून और प्रशासन की दृष्टि से सभी समान हो''

कानून और प्रशासन की दृष्टि में सभी समान हों, यह मात्र सिद्धान्त की ही बात नहीं होनी चाहिए वरन् व्यवहार में भी इसका परिपालन होना चाहिए। कानून के समक्ष सभी का समान होने का तात्पर्य यह है कि वैधानिक आधार पर अधिकार व सुविधाओं के वितरण अथवा कानून के क्रियान्वयन के प्रश्न पर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव न हो।[93] सरकार का काय नीति निर्धारण का है, उसे सामान्य प्रशासन में न तो हस्तक्षेप करना चाहिए और न ही किसी प्रकार का भेदभाव बरतना चाहिए।

संवैधानिक नैतिकता का परिपालन

लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि लोग संवैधानिक नैतिकता का पालन करे। संविधान में वैधानिक प्रावधान सन्निहित होते है। ये प्रावधान, नियम और कानून कितने ही अच्छे क्यों न हों यदि लोग उनका पालन नहीं करते, यदि लोग संविधान के प्रति आदर भाव नही रखते तो सही मायने में जनतंत्र नहीं हो सकता है।[94] इंग्लैण्ड और अमेरिका में जनतंत्र की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वहाँ लोग अपने नागरिक दायित्वों के प्रति बहुत जागरूक होते है, वे संविधान का आदर करते है और संविधान सम्बन्धी लोकतांत्रिक रीतियों व परम्पराओं का निर्वाह करते है।[95] भले ही ऐसा करने में उनके निजी व वर्गीय हितों को तात्कालिक रूप से कुछ नुकसान पहुंचाया हो।

''समाज में नैतिकता का परिपालन हो''

अम्बेडकर का कहना है कि अधिकांश राजनीतिवेत्ताओं ने लोकतंत्र की चर्चा में नैतिकता का उल्लेख नहीं किया है। आप यह मान सकते है कि बिना नैतिकता को जाने राजनीति सीखी जा सकती है क्योंकि नैतिकता को जाने बिना राजनीति की जा सकी है तो भी यह एक गलत स्थापना है। लास्की ने लोकतंत्र की व्याख्या में नैतिकता को बहुत महत्व दिया है। यदि समाज में नैतिक व्यवस्था नहीं है तो लोकतंत्र टुकड़ों में बिखर जायेगा।[96]

'समाज में चेतना हो'

जनचेतना से आशय ऐसी चेतना से है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी शान्ति के विरूद्ध यदि समाज में कोई गलत कार्य या अन्याय होता है तो उसके विरुद्ध अवाज उठाये। जनतंत्र में ऐसा होना जरूरी हैं दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध यदि सफेद लोग आवाज

---

[85] उपरोक्त, पृष्ठ 251
[86] रिशि, हरिशचन्द्र, मानव अधिकारों के प्रबल पक्षधर डॉ. अम्बेडकर, पूर्वोक्त, पृष्ठ 246
[87] उपरोक्त, पृष्ठ 248
[88] डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज (खंड 5), पूर्वोक्त, पृष्ठ 209
[89] उपरोक्त, पृष्ठ 213
[90] उपरोक्त, पृष्ठ 216
[91] लिमये मधु डॉ. अम्बेडकरः एक चिन्तन, पूर्वोक्त, पृष्ठ 66
[92] उपरोक्त, पृष्ठ 68
[93] भगवान दास (संक), दस स्पोक अम्बेडकर (खंड 4), पूर्वोक्त, पृष्ठ 259
[94] उपरोक्त, पृष्ठ 262
[95] उपरोक्त, पृष्ठ 266
[96] एन.डी.पामर, द इण्डियन पॉलिटिकल सिस्टम (होंगटन, बोस्टन) सन् 1970, पृष्ठ 61

उठाते हैं तो यह उनकी जनचेतना का प्रतीक है।[97] भारत का हर गाँव एक अफ्रीका है। गांवों में दलितों के साथ होने वाले अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध यदि दलित एवं (अथवा) सवर्ण आवाज नहीं उठाते तो इससे दलितों एवं सवर्णों के बीच धीरे–धीरे दूरियाँ बढेगी और दलितों के मन में असंतोष घर करने लगेगा। यह असंतोष आगे चलकर विद्रोह का रूप ग्रहण कर सकता है।[98] यदि ऐसा होता है तो यह लोकतंत्र के लिए अत्यधिक अहितकर होगा। अम्बेडकर का कहना है कि लोतंत्र कोई ऐसा पौधा नही हैं जो हर मिट्टी में उग जाये। इसकी रक्षा के लिए हमें अपने समाज से जो परिस्थितियाँ लोकतंत्र के प्रतिकूल है उन्हें हटाना होगा और जो दर्शायें इसके अनुकूल है उनका विकास करना होगा।

भारत में संसदीय लोकतंत्र का भविष्य

अम्बेडकर की दृष्टि में संसदीय लोकतंत्र भारत के लिए नया नहीं है। बुद्ध के समय भारत में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली विद्यमान थी परन्तु कालान्तर में हम भारतीयों ने इसे खो दिया और आज हम इससे अजनबी हो गये है। अम्बेडकर के अनुसार लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण हो जाने से ही लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती। यह तो महज शुरूआत है। हकीकत तो यह है कि भारत भूमि अन्दर से प्रजातंत्र के लिए उपजाऊ नहीं हैं।[99] इस पर ऊपर से प्रजातंत्र की चूनाकारी की गई है। भारतीय समाज अनेक जातियों और सम्प्रदायों में बंटा हुआ है जो प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है।

विगत अनेक वर्षों से हम एक ही राजनैतिक दल को महत्व देते रहे हैं। विरोध पक्ष को भूल गये हैं। विरोध पक्ष भी अनेक दल व गुणों में बंटा हुआ है। पुनः सत्ता पक्ष को समुचित सम्मान देने के स्थान पर से निरन्तर अभिशाप निरूपित–करता रहता है। इसी प्रकार विरोध पक्ष भी सत्ता पक्ष के साथ रचनात्मक सहयोग करने के स्थान पर हर बात में उसकी बुराई निकालने में ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझता है।[100] बड़े राजनीतिक दलों, वियोग रूप से कांग्रेस में बिना वैचारिक प्रतिबद्धता के अनेक विचारों के लोगों को शामिल किया जाना, राजनीतिक दलों विशेष रूप से सत्ताधारी दल द्वारा विरोधी दल में तोड़फोड़ करना, दल बदल को प्रोत्साहन देना आदि स्वस्थ प्रजातंत्र के द्योतक नहीं है।[101] सत्ता पक्ष द्वारा प्रशासन के माध्यम से चुनावों को प्रभावित करना, चुनावों में पैसों की बढ़ती भूमिका के फलस्वरूप सरकारी निर्णयों में नौकरशाही व पैसे वालों के बढ़ते हस्तक्षेप से जाहिर होता है कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य अधिक उज्जवल नहीं है।

अम्बेडकर का कहना है कि हमें अपने अतीत से शिक्षा लेनी चाहिए और इस बात के लिये सतत् प्रयास करना चाहिए जिससे कि हम अपनी आजादी और लोकतंत्र की रखा कर सकें।[102] इस संदर्भ में अम्बेडकर ने हमारा ध्यान कुछ संभावित खतरों की ओर आकृष्ट किया है जो इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है।

[97] उपरोक्त, पृष्ठ 63
[98] सोर्स मेटेरियल ऑन डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर एण्ड द मूवमेन्ट ऑफ अण्टचेबिल्स, (महाराष्ट्र सरकार प्रकाशन, बॉम्बे) सन् 1982, पृष्ठ 233
[99] उपरोक्त, पृष्ठ 236
[100] उपरोक्त, पृष्ठ 342
[101] सहारे, एम.एल. डॉ. भीमराव अम्बेडकर : हिज लाइफ एंड मिशन, पूर्वोक्त, पृष्ठ 123
[102] उपरोक्त, पृष्ठ 127

अतीत में भारत ने केवल संसदीय लोकतंत्र ही नहीं खोया अपितु अपनी आजदी भी खोई। अपनी आजादी इस देश में इसलिये नहीं खोई कि वह उसके कुछ अपने आदमियों ने उसके साथ विश्वासघात किया। जब सिन्ध पर मुहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ तो उसके सेनापति ने कासिम के एजेन्ट से घूस लेकर अपने राजा दाहिर के लिए लड़ने से मना कर दिया।[103] जयचन्द मुहम्मतद गोरी को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया और अपने तथा सोलंकी राजाओं की ओर से उसे सहायता देने का आश्वासन दिया। जब शिवाजी हिन्दुआं की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे तो दूसरे मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल सम्राट की ओर से युद्ध कर रहे थे। जब अंग्रेज शासकों का विनाश कर रहे थे तो सिखों का प्रमुख सेनापति गुलाब सिंह चुप बैठा था, वह सिख राज्य की रक्षा के लिए नहीं आया। सन् 1857 में जब भारत के अधिकांश भाग में स्वतन्त्रता सम्प्रति देश में जातिवाद और सम्प्रदायवाद सरीखे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त भिन्न और विरोधी राजनीतिक मान्यताओं से सुसज्जित अनेक राजनीतिक दलों का उदय हो रहा है,[104] अम्बेडकर के अनुसार, राष्ट्र को समुदाय से श्रेष्ठ अथवा समुदाय को राष्ट्र से बड़ा मानेगे तो वे अपनी आजादी को न केवल दूसरी बार बल्कि सदा के लिए गवां देगें। इसके विरूद्ध सभी भारतीयों को संगठित होकर लड़ना चाहिए। हमें अपने रक्त की आखिरी बूँद तक देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करनी चाहिए।

संविधान के माध्यम से देश में लोकतांत्रिक सरकार अर्थात ''जनता द्वारा, जनता की, जनता के लिए सरकार'', की स्थापना के प्रावधान मात्र से ही लोकतंत्र स्थापित नहीं हो जाता। अतीत में भी भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य थे ओर जिन क्षेत्रों में राज्यशाही थी वहां भी या तो राजा चुना जाता था या उस पर जनता का प्रभावकारी नियंत्रण होता था।[105] तात्पर्य यह है कि राज्यशाही यदि थी भी तो निरंकुश नहीं थी, सीमित थी।

बौद्धयुगीन भारत में संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली काफी विकसित अवस्था में विद्यमान थी किन्तु इसे भारत ने खो दिया। क्या इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है ? अम्बेडकर का उत्त था कि ''यह मैं नहीं कह सकता किन्तु वर्तमान स्थितियों के संदर्भ में जिस प्रकार लोकतत्र से लोग अनभिज्ञ दिखते है इस बात का खतरा है कि निकट भविष्य में देश में लोकतंत्र का स्थान अधिनायकवाद ले ले। यह बहुत सम्भव है कि शासन का स्वरूप तो लोकतांत्रिक रहे किन्तु यथार्थ में यह अधिनायकवाद हो।''

लोकतंत्र की रक्षा के लिए अम्बेडकर ने सुझाव दिया कि यदि हम लोकतंत्र को न केवल स्वरूप वरन् यथार्थ में बनाये रखना चाहते है तो हमें अपने सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवेधानिक मार्ग को ही अपनाना चाहिए।[106] तात्पर्य यह है कि हमें अपने सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गैर संवैधानिक विधियों जैसे सिविल नाफरमानी, सहयोग, सत्याग्रह आदि का परित्याग करना चाहिए क्योंकि ये अराजकता की परिचायक है। लोकतंत्र को बनाये रखने के लिए दूसरी बात जिसके परित्याग की आवश्यकता अम्बेडकर ने निरूपति की, वह है, भक्ति या वीर पूजा।[107] उनके अनुसार धर्म में भक्ति, आत्मा

[103] उपरोक्त, पृष्ठ 129
[104] कुबेर, डब्ल्यू एन. डॉ. अम्बेडकरः अ क्रिटिकल स्टडी, पूर्वोक्त, पृष्ठ 47
[105] डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, राइटिंग्स एंड स्पीचेज (खंड 5) पूर्वोक्त, पृष्ठ 112
[106] उपरोक्त, पृष्ठ 116
[107] उपरोक्त, पृष्ठ 119

की मुक्ति का साधन हो सकती है किन्तु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अवनति का मार्ग है जो अन्ततोगत्वा अधिनायकवाद को जन्म देती है।

सामाकि प्रजातंत्र की स्थापना

अम्बेडकर का कहना है कि केवल राजनीतिक प्रजातंत्र से ही हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपने राजनीतिक प्रजातंत्र को सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। सामाजिक प्रजातंत्र जीवन का एक ढंग है जो स्वतन्त्रता, समानता और भातृत्व को सामाजिक जीवन के त्रिगुण सिद्धान्त के रूप में मान्यता प्रदान करता है।[108] इनमें से किसी भी एक सिद्धांत को त्रयी का पृथक भाग नही समझना चाहिए। आपस में मिलकर ये लोकतंत्र के एक त्रिगुण संघ का निर्माण करते है, कम से कम इस अर्थ में करते है कि इनमें से किसी एक को दूसरे से पृथक करने का प्रयास करना लोकतंत्र के उद्देश्य की क्षति पहुंचाना है। स्वतन्त्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और न ही समानता को स्वतन्त्रता से अलग किया जा सकता है। इसी प्रकार स्वतन्त्रता और समानता को भातृत्व से पृथक नहीं किया जा सकता है। समानता के अभाव में स्वतन्त्रता कुछ लोगों का अधिक लोगों पर वर्चस्व स्थापित करेगी।[109] स्वतन्त्रता के अभाव में समानता व्यक्ति में स्वविवेक से कोई कार्य करने की क्षमता को समाप्त कर देगी तथा भातृत्व के अभाव में स्वतन्त्रता व समानता कार्य–व्यवहार का ढंग नहीं बन पायेगी। इन्हें लागू करने के लिए एक सिपाही की जरूरत होगी। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार ''भारतीय समाज में दो वस्तुओं का पूर्णतया अभाव है। इनमें एक है, समानता, सामाजिक धरातल पर भारत में हम एक ऐसा समाज देखते है जिसकी रचना श्रेणीबद्ध असमानता के सिद्धान्त पर हुई है, जिसका तात्पर्य समाज में कुछ लोगों का गुन्नयन तथा अन्य लोगों का अवनयन है। आर्थिक धरालत पर हमारा समाज ऐसा है जिसमें कुछ लोगों के पास प्रचुर सम्पत्ति है जबकि अधिकांश लोक घोर निर्धनता का जीवन बिता रहे है।[110] इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को हम एक अन्तर्विरोधी से भरे जीवन में प्रवेश कर रहे है। राजनीति में हममें समानता होगी जबकि सामाजिक और आर्थिक जीवन में हममे असमानता होगी। दूसरे शब्दों में राजनीति में हमें ''एक व्यक्ति एक मत'' तथा ''एक मत एक मूल्य'' को मान्यता देंगे, जबकि सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपने सामाजिक–आर्थिक ढांचे के कारण हम एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धान्त को नकारते रहेंगे। यह विसंगति पूर्ण जीवन हम कब तक जीते रहेंगे ? ऐसा हम अपने राजनीतिक जीवन को खतरे में डाल कर ही करेंगे।[111] हमें इस अन्तर्विरोध को यथाशीघ्र समाप्त करना चाहिए अन्यथा जो लोग असमान्ता के शिकार होगे वे राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे, जिसे इस सभा (संविधान सभा) ने कठिन परिश्रम से बनाया है, को उठा देगे।''

दूसरी चीज जिसकी हम लोगों में कमी है वह है भ्रातृत्व के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान न करना। भातृत्व का अर्थ है, सभी जातियों में सामान्य भ्रातृत्व भाव अर्थात सभी भारतीय एक ही लोग है, इस प्रकार के भाव का होना।[112] यह वह सिद्धान्त है जो सामाजिक जीवन को एकता व मजबूती प्रदान करता है। इसे प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है।

अम्बेडकर का कहना है कि, हमने भारतीय राष्ट्र की कल्पना की है किन्तु यह विश्वास कर कि, हम एक राष्ट्र है, हम अपने आप में एक बहुत बडा धोखा पाल रहे है।[113] जिस प्रकार कई हजार जातियों में विभक्त लोग एक राष्ट्र हो सकते है। जितनी जल्दी हमें इस बात का अहसास हो जाता है कि हम अभी भी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक राष्ट्र नहीं है, उतना ही हमारे लिए अच्छा है क्योंकि तभी हम एक राष्ट्र बनने की आवश्यकता को महसूस करेगे और इस लक्ष्य की प्राप्ति के उपायों एवं साधनों के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचेंगे।[114]

भारत में जातियां है। ये जातियां राष्ट्र विरोधी है। प्रथमतः ये सामाजिक जीवन में अलगाव पैदा करती है। यदि हमें एक राष्ट्र बनाना है तो, हमें इन कठिनाइयों को दूर करना होगा क्योंकि जैसी कि अम्बेडकर की मान्यता है, भातृत्व एक तथ्य के रूप में सरकार वहीं हो सकता है, जहां कि एक राष्ट्र मौजूद हो।[115] भातृत्व के बिना स्वतन्त्रता और समानता रंग की पतों से अधिक गहरी नहीं हो सकती।

अम्बेडकर के शब्दों में निम्न वर्ग के लोग सदियों से शासित होते रहने से ऊब गये है। अब वे स्वयं द्वारा शासित होने के लिए अधीर हो रहे है। यदि उन्हें अब भी शासित होने के लिए बाध्य किया जाता है तो, इससे वर्ग संघर्ष को जन्म मिलेगा।[116] यदि एक ऐसा दिन आया तो वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, इसलिए जितना ही शीघ्र उनकी प्रत्याशाओं की पूर्ति का प्रावधान किा जायेगा उतना ही यह उनके लिए, देश के लिए, आजादी की अक्षुणता के लिए और लोकतांत्रिक ढांचे की निरन्तरता के लिए अच्छा होगा।[117] आजादी के बाद यदि हममें कोई कमी आती है या हमसे कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए अब हम अंग्रेजों को दोष नहीं दे सकते। अब हमें गलतियों के लिए दूसरों को नहीं अपने को ही दोष देना पड़ेगा। इस बात का खतरा बहुत अधिक है कि, भविष्य में चीजें और भी बुरी हो। समय तेजी से बदल रहा है। लोग यहां तक तक कि हमारे अपने लोग भी नई विचारधाराओं की ओर आकर्षित हो रहे है। वे अब जनता के द्वारा सरकार से ऊब गये है।[118] वे जनता के लिए सरकार चाहते है। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि सरकार जनता के द्वारा एवं जनता की है।

वस्तुतः अम्बेडकर का राजनैतिक चिन्तन मानव अधिकार तथा व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना तथा एक बेहतर सामाजिक–राजनीकि व्यवस्था की स्थापना पर आधारित है। उनका राजनीतिक दर्शन, आदर्शवाद, यथार्थवाद, मानववाद, भौतिकवाद, आध्यात्मवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद तथा राष्ट्रवाद का अप्रतिम समन्वय है।[119]

BIBLIOGRAPHY

ARTICLES

[108] बाली, एल. आर., डॉ. अम्बेडकर और भारतीय संविधान, पूर्वोक्त, पृष्ठ 37
[109] उपरोक्त, पृष्ठ 39
[110] उपरोक्त, पृष्ठ 42
[111] लोखण्डे, जी.एस. भीमराव रामजी अम्बेडकर अ स्टडी इन सोशल डेमोक्रेसी, पूर्वोक्त, पृष्ठ 213
[112] उपरोक्त, पृष्ठ 215
[113] उपरोक्त, पृष्ठ 219
[114] उपरोक्त, पृष्ठ 222
[115] भगवान दास (संक) दस स्पोक अम्बेडकर (खंड 6) पूर्वोक्त, पृष्ठ 114
[116] उपरोक्त, पृष्ठ 117
[117] उपरोक्त, पृष्ठ 119
[118] सहारे, एम.एल., डॉ. भीमराव अम्बेडकर हिज लाइफ एंड मिशन, पूर्वोक्त, पृष्ठ 87
[119] भगवान दास, दस स्पोक अम्बेडकर (खंड 4) पूर्वोक्त, पृष्ठ 71

1. AMBEDKER CENTENARY. New Age 90Apr22 : 2 Ed.

2. AMBEDKAR CENTENARY-year of social justice. New Age 91Apr 14 : 2 Ed.

3. AMBE DKAR'S SOCIALIST legacy. Janata 91Apr l 4: 3-5 Ed.

4. ANJANEYULU, D. BR Ambedkar. Bhavan's Journal 81 Juni : 65-72.

5. ANJANEYULU, D BR Ambedkar: Social and political thinker. Indian Review 77(l!)81Apr : 9-13.

6. ANJANEYULU, D. Crusader for human equality. Hindu 90Apr 13 : 8 : 3.

7. APPADORAI, A. Ideas of Ambedkar. Hindustan Times 80 Apr 13: 7: 1

8. BABA SAHEB Ambedkar :A humanist. March of Karnataka 19(4) 81Apr 9-10

9. BAISANTRY, DK. Ambedkar and conversions. Mainstream 81Oct 13:9-10.

10. BALASANKAR, R. Ambedkar becomes Baudh to purify Hinduism and stop Communism, Organiser 83A pri 7: 15-16.

11. BANDIVEDKAR, PM. Ambedkar: Champion of human rights. Democratic Wodd 91 Jan 6: 9-10.

12. BEHL, Aditya. Buddhist renaissance in modern India: Dr. Ambedkar and the untouchables India International Centre Quarterly 17(2) 90 Monsoon: 83-99.

13. BENNUR, PH. Ambedkar's concept of religion. Mainstream 88 Apr 23 : 22-24.

14. BHARILL, Chandra, Relevance of Dr. Ambedhur, Democratic World Apr 29 : 13-14

15. BURRA, Neer1Was Ambedkar just a leader of the Maharashtra. Economic and Political Weekly 86 Mar 8 : 429-31.

16. CHAKRAVARTTY, Nikka Honouring Ambedkar. Maiessream 90Apr 21: 4-5.

17. CLARK, Blake., Ambedkar the untouchable. Christian Herald 50.

18. DANDAVTE, Madhu, Ambedkar. A dreamer of social liberation. Janata 79 Apr 15 : 3-4

19. DHAWAN, Shakuntala, BR Ambedkar: Apostle of social justic. Yojana 91 Apr 15 : 12-13

20. DHOLAKIA, Jitendra, Economic ideology of Dr. Ambedkar Financial Express 89 Apr 14: 5:7.

21. DOSHI, Harish, Gandhi and Ambedkar on the removal of untocuhability. In Shah, Vimal P and Agrawal, Bindo C, ED. Reservation policy, programmes and issues. P 47-57.

22. EQUAL PLACE with Hindus and Muslims in future Constitution: Dr. Ambedkar explains scheduled castes demands: Gandhi-Jinnah talks criticised. Main (Madras) 44 Sept 26.

23. GANDHII'S PART in RTC: Dr. Ambedkar's indictment. Liberator (Madras) 44 Sept 236.

24. GIFT OF the grab. Times of India (Jaipur) 90 Apr. 21 : 6 : Ed.

25. GOGOI, Gunati: Founder of golden thought. Assam Information 42 Apr-May: 19-22.

26. GOPAL SINGH, Ambedkar the man and his mission. Hindustan Times 90 Apr. 13: 11: 7.

27. GURU, Gopal, Caste and class paradigm mainstream 87 Apr 17: 7-10.

28. GURU, Gopal Hinduisation of Ambedkar in Maharashtra. Economic and Political Weekly 91 Feb 16: 339-41.

29. HONOURING (Dr.) AMBEDKAR, Hindustan Time 90 Apr 9: 11: 1 Ed.

30. JADHAV, MH. Loyalty to Ambedkar reaffirmed. Economic and Political Weekly 88F20: 348-49.

31. JORDENS, J. Two giants look at the cosmic man: Ambedkar and Dayanand intespret the Purusa Sukta. Journal of the Oriental Institute 33(1-2) 83Sep-Dec: 1-10.

32. JOSHI, Navin Chandra. Ambedkar: He fought for the downtrodden. Democratic Worm 88 Apr 10: 9-10.

33. KAMATH, MV. Ambedkar and contemporary times. Organiser 97 May 5: 4.

34. KARNIK. Ambedkar's contribution to political and social thought. Janata 39 (7) 750ct19: 9-12.

35. KELKAR, BK, BR Ambedkar: The nationalist thinker. Organiser 86Apr 13: 7.

36. KELKAR, BK. BR Ambedkar: The visionary of a nationalist egalitarian society. Organiser 90Apr 15: 7.

37. KWATRA, RD. Ambedkar: Man and message. Hindustan Times 89May I: 11:7.

38. LIMAYE, Madha Ambedkar's early struggles. Sunday 84 Apr 22: 33-37.

39. MAHENDRA, KL Ambedkar: Symbol of struggle against social oppression. New Age 89 Oct 1: 8.

40. MALLIK, Basant Kumar. Arnbedkar and his movement for social equality. Mainstream 91Apr13: 4-6.

41. MALLIK, Basant Kumar. Ambedkar on constitution and national integration. Mainsheam 89Apr 15: 11-13.

42. MALLIK, Basant Kumar. Ambedkar on Indian society and politics Mainstream 89 April 14 : 7-10

43. MALLIK, Basant Kumar. Ambedkar in women progress, mainstream 87Aprl 1: 7:10.

44. MALLIK Basant Kumar Marx and Ambedkar: A comparative study, Mainstream 88 Apr. 23: 20-22.

45. MAN MOHAN SINGH. Ambedkar: The relentless crusader. Yojana 94 Apr 15: 10-11.

46. MEHTA, PL Ambedar The harbinger of Indian democracy. Janta 91Apr 14 : 7-8

47. MINHAS, SS. Ambedkar: A legal luminary and parliamentarian. Advance 34(4) 90Apr: 44.

48. MUNGEKAR, BL Ambedkar on Indian's agrarian problems. Janata 91Apr l4: 9-13.

49. MULGAOKAR, S. Diary of recluse. Indian Express 90Aprl 4: 8:7

50. NARAYANAN; KR. BR Ambedkar: A rebel against social system Mainstream 79 May 5 : 11-14.

51. NARAYANAN, KB. Remembering Ambedkar. Mainstream 84 Jan. 26 : 14, 64.

52. NEED FOR correct appraisal of Ambedkar's movement. Peoples Democracy 90 Apr 29 : 5.

53. NO WONOUR in this. Statesman 90Apr 5 : 6: 2 Ed.

54. PADGAONKAR, Dileep. Ambedkar and Gandhi. Mainstream 90 Apr 21: 3-5.

55. PADGAONKAR, Dileep. Ambedkar and Gandhi: An antagonism of profound significance. Times of India (Jaipur) 90 April 4: 6:3.

56. PHADKE, YD. Amid accolades, has the real Ambedkar been forgotten. Times of India (Jaipur) 90 May 4 : 7.

57. RAJMANI, RC. BR Ambedkar. Yojana 903unió : 23-26.

58. RAVINDRA KUMAR. Gandhi, Ambedkar and the Poona Pact. South Asia 8 (1-2) 85 Jun-Dec : 87-101.

59. RENUKA RAJENDRA. Arabedkar : A symbol of "Shramayeva Jayathe". March of Karnataka 21(9) 83Sep : 3-6.

60. RUDRAIAH, D. Ambedkar and his conversion. Radiance 79Dec304. SAROL Ambedkar and Buddhism. Mahabodhi 92(4-6) 84Apr-jun: 76-78.

61. SHAHARE, ML Ambedkar His ideas and ideals. Hindustan Times 8 Apr 12: 9t6.

62. SHEODAN SINGH. Ambedkar and the Dhamma. Mahabodhi 94(1- 3) 86 Jan-Mar : 23-28.

63. SIBNDE, JR. Form illusion to rationality. Radical Humanist 46(2) 82May : 21624.

64. SMITH, Sydne G. Baba Saheb Ambedkar : A study in greatness. March of Karnataka 21(7) 83Jul : 3-6.

65. THATTE, Yadunath. Ambedkar and population control. Janata 91Apr l4 : 124.

66. VAKIL, AK. Political socialisation of scheduled castes and Dr. Assbedkar, Rural Sociology 23(2) 82 Winter : 153-68.